परमा नंद बनाम हरियाणा राज्य (डी. एस. तेवतिया, जे.)

अधिनियम के 20, दो अलग-अलग मामले हैं और विभिन्न घटनाओं से निपटते हैं। धारा 20 के अंतर्गत आवेदन करने का अधिकार किसी पक्ष को प्राप्त होता है

अनुबंध में उस तारीख पर मध्यस्थता खंड शामिल है जब अनुबंध को दूसरे पक्ष द्वारा रद्द कर दिया गया था और तीन साल की सीमा को उस तारीख से गिना जाना चाहिए, न कि नोटिस की तारीख से जब मध्यस्थता समझौते का पक्ष नोटिस देता है। दूसरे पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता है। गुरदेव राम के मामले (सुप्रा) में, यह माना गया कि मध्यस्थता के लिए आवेदन करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब निगम आवेदक को देय कथित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

(7) वर्तमान मामले में, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत आवेदन करने का अधिकार याचिकाकर्ता को उस तारीख से प्राप्त होगा जब प्रत्येक अनुबंध पूरा हो गया था, जिसके लिए निर्धारित अवधि केवल एक वर्ष थी। इस प्रकार, वर्ष 1973-74 के अनुबंध के लिए, अवधि अनुबंध पूरा होने की तारीख से तीन वर्ष होगी। के बाद से

अधिनियम की धारा 20 के तहत आवेदन तीन से अधिक के बाद दायर किया गया था

उसके पूरा होने के वर्षों बाद, यह स्पष्ट रूप से समय से बाधित था। एक बार जब यह मान लिया जाता है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत आवेदन समय से बाधित हो गया है, तो यह महत्वहीन हो जाता है कि किसी दावे के संबंध में पार्टियों के बीच कोई विवाद मौजूद था या नहीं।

(8) मामले के इस दृष्टिकोण से, यह पुनरीक्षण याचिका विफल है और है लागत सहित खारिज कर दिया गया।

समक्ष डी. एस. तेवतिया और एस. एस. सोढ़ी, जे.जे.

परमा नंद,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी।

1982 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1634

24 अप्रैल 1984.

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1954 का XXXVII) - धारा 2(ia) (एम), 2(xii-ए) और 16(1) (ए) (i) - खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 - नियम 5 पैराग्राफ ए परिशिष्ट 'बी' का 05.09 - निर्धारित सीमा से अधिक खाद्य बीज वाले जीरे का नमूना - ऐसा नमूना - चाहे मिलावटी हो - परिशिष्ट 'बी' का पैराग्राफ ए 05.09 - जीरा की व्याख्या - क्या प्राथमिक भोजन - अनुभाग का प्रावधान 2(आईए) (एम)-ऐसी परिस्थितियाँ जो प्रावधान को आकर्षित करेंगी-बताया गया।

माना गया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट 'बी' के नियम 5 पैराग्राफ ए. 05.09 के निर्माताओं ने अनुमेय सीमा के रूप में बाहरी पदार्थ के लिए 7 प्रतिशत की बाहरी सीमा निर्धारित करते समय, बाहरी पदार्थ को ध्यान में रखा था। किसी भी प्रकार का। जब वे बाहरी पदार्थ की कुछ वस्तुओं की पहचान करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे किसी अन्य बाहरी पदार्थ को इसके दायरे से बाहर कर देते हैं। अभिव्यक्ति 'बाहरी' की परिभाषा समावेशी है, यानी, 'बाहरी पदार्थ' शब्द में गिनाए गए पदार्थ की वस्तुएं भी शामिल होंगी। इस तरह। शब्द 'बाहरी पदार्थ' किसी भी चीज और हर चीज को संदर्भित करेगा जो जीरा नहीं है। उक्त नियम के निर्माताओं को माना जाना चाहिए

विहित है कि बाह्य पदार्थ अर्थात् कोई भी वस्तु जो 'जीरा' नहीं है

बीज' 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उक्त नियम के निर्माता जब

आगे निर्धारित किया गया कि खाद्य बीजों की सामग्री 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, उनका स्पष्ट इरादा था कि खाद्य बीजों के अलावा अन्य बाहरी पदार्थ 2 प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, बाह्य पदार्थ की अनुमेय सीमा। खाद्य बीजों के अलावा, निहितार्थ से, 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया था और यदि बाह्य पदार्थ है। खाने योग्य बीजों के अलावा अन्य बीजों की मात्रा 2 प्रतिशत से अधिक होने पर जीरे के नमूने को मिलावटी माना जाएगा। यदि दिए गए नमूने में खाने योग्य बीजों की मात्रा 5 प्रतिशत से अधिक हो तो जीरे के नमूने को भी मिलावटी माना जाएगा। उक्त नियम के किसान अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक थे और उनका मानना था कि जीरे में खाने योग्य बीज और इसके साथ-साथ अन्य बाहरी पदार्थ भी हो सकते हैं। खाद्य बीज और अन्य बाहरी पदार्थ मिलाकर 7 प्रतिशत से अधिक रखने का इरादा नहीं था और व्यक्तिगत रूप से खाने योग्य बीज 5 प्रतिशत से अधिक और खाने योग्य बीज के अलावा अन्य बाहरी पदार्थ 2 प्रतिशत से अधिक रखने का इरादा नहीं था। दूसरे शब्दों में। यदि बाहरी पदार्थ 2 प्रतिशत से अधिक हो, तो नमूने को मिलावटी माना जाएगा, भले ही उसमें कोई खाद्य बीज न हो। यदि नमूने में 5 प्रतिशत से अधिक खाद्य बीज हों तो उसे फिर से मिलावटी माना जाना चाहिए। भले ही वह किसी अन्य बाह्य पदार्थ से मुक्त हो। इस प्रकार, जहां जीरे के एक नमूने में निर्धारित सीमा से अधिक खाद्य बीज होते हैं, उसे पैराग्राफ ए के मद्देनजर मिलावटी माना जाएगा। 05.09

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम के नियम 5 का परिशिष्ट 'बी',

1955.

(पैरा 8 और 9)

माना जाता है कि जीरा जो भूमि पर उगाया और उगाया जाता है, उसे प्राकृतिक रूप में कृषि उपज नहीं माना जा सकता है और इसलिए, यह प्राथमिक भोजन की श्रेणी में आएगा।

(पैरा 11),

माना गया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 2(आईए)(एम) के प्रावधानों को लागू करने वाली परिस्थितियों को अभियुक्त द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, न कि अभियोजन पक्ष द्वारा। जिस क्षण अभियोजन यह स्थापित कर देता है कि भोजन के नमूने में मिलावट थी, तब यह स्थापित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है कि ऐसी मिलावट मानव एजेंसी की करतूत नहीं थी। यदि वह ऐसा करता है, तो प्रावधान लागू होगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो प्रावधान लागू नहीं होगा और वह अधिनियम की धारा 16 के तहत अपराध के लिए दंडित किया जाएगा।

(पैरा 12).

कलकत्ता निगम बनाम अलगू शो और अन्य, 1978(1) एफ.ए.सी. 180.

सीआरपीसी की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण की याचिका से असहमति जताई। पी.सी. सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव की अदालत के 6 नवंबर, 1982 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए, जिसमें मिस किरण आनंद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़गांव के 26 फरवरी, 1982 के आदेश की पुष्टि करते हुए दोषी ठहराया गया था और

याचिकाकर्ता को सज़ा सुनाना.

एच. एल. सिब्बल, वरिष्ठ वकील (आर. के. हांडा, उनके साथ वकील) और

हरबंस सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता (एम. पी. गुप्ता, उनके साथ अधिवक्ता),

याचिकाकर्ता के लिए.

प्रतिवादी की ओर से मुनीश्वर पुरी, अधिवक्ता।

डी.एस. तेवतिया, जे.

इस मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या जीरे के एक नमूने में, भले ही उसमें निर्धारित सीमा से अधिक खाने योग्य बीज हों, परिशिष्ट के पैराग्राफ A.05.09 के मद्देनजर मिलावटी नहीं माना जा सकता है। बी' खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 5 को इसके बाद नियमों के रूप में जाना जाता है, जो मानक निर्धारित करता है।

2. परिशिष्ट 'बी' का पैराग्राफ ए.05.09; नियम 5 का, जो मानक निर्धारित करता है, निम्नलिखित शर्तों में है:

ए.05.09. जीरा (सफेद जीरा) साबुत का अर्थ है जीरा साइमिनम (एल.) के सूखे बीज। धूल, पत्थर, मिट्टी के ढेर, भूसी, तना या पुआल सहित बाहरी पदार्थ का अनुपात वजन के हिसाब से 7.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जीरे के अलावा अन्य खाद्य बीजों का अनुपात वजन के हिसाब से 5.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

* * * * * याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्क की जांच करने से पहले, उससे संबंधित तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। दिनांक 25.9.1978 को सरकारी खाद्य निरीक्षक, गुड़गांव, श्री अनुभाग पी. मलिक द्वारा याचिकाकर्ता से जीरा (जीरा) का एक नमूना सुरक्षित किया गया था। उचित औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, नमूना सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा गया, जिन्होंने निम्नलिखित डेटा का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की:

i) 14 जीवित कीड़े;

ii) दो चूहे की बीट;

iii) जीरा के अलावा 5.2% खाने योग्य बीज अधिकतम 5.0% के मुकाबले।

सार्वजनिक विश्लेषक की राय थी कि उनके द्वारा जांचा गया नमूना मिलावटी था।

3. उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 16(1)(a)(i) के तहत अभियोजन शुरू किया गया। . इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा, उसे दोषी पाया गया और छह महीने की सजा दी गई" सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का जुर्माना। 1,000/- जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

4. गुड़गांव के सत्र न्यायाधीश ने न केवल दोषसिद्धि बरकरार रखी बल्कि सजा भी बरकरार रखी।

5. इसमें उठाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के मद्देनजर मोशन बेंच द्वारा पुनरीक्षण याचिका को डिवीजन बेंच में स्वीकार कर लिया गया था।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री हीरा लाल सिब्बल ने आर.के. की निम्नलिखित टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा: शुरमु. कॉरपोरेशन ऑफ़ कलकत्ता बनाम अलगू शो में कलकत्ता उच्च न्यायालय के जे. (1978)1 एफएसी 180: 1978 सीआरआई एलजे 220, इस विसंगति को उजागर करने की कोशिश करता है कि, उपरोक्त मानक के अनुसार, जीरे के दिए गए नमूने को मिलावटी नहीं माना जाएगा यदि इसमें खाद्य आवश्यकता के अलावा 7 प्रतिशत बाहरी पदार्थ शामिल हैं। पत्थर या धूल हो सकता है, फिर भी जीरे को मिलावटी माना जाएगा यदि इसमें खाने योग्य बीजों की मात्रा 5 प्रतिशत से थोड़ा भी अधिक हो (पी 221 पर):

नियम को यथावत पढ़ने पर, मुझे पता चला कि 7 प्रतिशत में से काले जीरे के अलावा अन्य खाद्य बीजों का अनुपात वजन के हिसाब से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने दिया जा सकता; लेकिन यदि काले जीरे के अलावा अन्य खाद्य तेल बीजों के अनुपात का हिस्सा कम है, तब भी धूल, गंदगी, तने, पत्थर, भूसी आदि जैसे बाहरी पदार्थों की कुल स्वीकार्य मात्रा 7 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। जीरे के अलावा अन्य खाद्य बीजों के अनुपात के रूप में नियम में निर्धारित पांच प्रतिशत की सीमा ऐसे बीजों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा है, न कि कुल बाह्य पदार्थ के लिए...

विद्वान वकील ने कहा कि ऐसी स्थिति सामान्य ज्ञान के विपरीत होगी। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि जब तक जीरे के नमूने में खाद्य बीजों की मात्रा 7 प्रतिशत से अधिक न हो, तब तक नमूने को कानूनन मिलावटी नहीं माना जा सकता।

7. सम्मान के साथ, मैं खुद को शर्मा, जे द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत होने में असमर्थ पाता हूं। मेरे विचार में, विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं है। उपरोक्त नियम, जो जीरे के लिए शुद्धता के मानक निर्धारित करता है, की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती है कि जीरे में खाद्य बीजों के अलावा 7 प्रतिशत से अधिक बाहरी पदार्थ हों और खाद्य बीजों के 5 प्रतिशत से अधिक न हों। , फिर भी एक गैर-मिलावटी नमूना होगा, न ही मेरी राय में, इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि भले ही अखाद्य बीज 5 प्रतिशत से अधिक हो, तब भी जीरे को मिलावटी नहीं माना जा सकता है यदि प्रतिशत का खाने योग्य बीज 7 प्रतिशत से अधिक नहीं थे।

8. मेरे विचार में, उक्त नियम के निर्माताओं ने, बाहरी पदार्थ के लिए 7 प्रतिशत की बाहरी सीमा को अनुमेय सीमा के रूप में निर्धारित करते समय, किसी भी प्रकार के बाहरी स्वामी को ध्यान में रखा था। जब वे बाहरी पदार्थ की कुछ वस्तुओं की पहचान करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे किसी अन्य बाहरी पदार्थ को इसके दायरे से बाहर कर देते हैं। अभिव्यक्ति की परिभाषा 'बाहरी' समावेशी है, अर्थात, शब्द 'बाहरी पदार्थ' इसमें गिनाए गए पदार्थ के आइटम

भी शामिल होंगे। इसलिए, शब्द 'बाहरी पदार्थ' किसी भी चीज और हर चीज को संदर्भित करेगा जो जीरा नहीं है। इसलिए, उक्त नियम के बंधुओं को यह निर्धारित करना चाहिए कि बाहरी पदार्थ यानी कुछ भी जो 'जीरा बीज' नहीं है; 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा. उक्त नियम के निर्माताओं ने जब यह निर्धारित किया कि खाद्य बीजों की सामग्री 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तो उनका स्पष्ट इरादा था कि खाद्य बीजों के अलावा अन्य बाहरी पदार्थ 2 प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, खाद्य बीजों के अलावा बाहरी पदार्थ की अनुमेय सीमा, निहितार्थ से, 2 प्रतिशत निर्धारित की गई थी और यदि खाद्य बीजों के अलावा बाहरी पदार्थ, 2 प्रतिशत से अधिक हो, तो जीरे का नमूना लिया जाएगा। मिलावटी माना जाएगा. यदि दिए गए नमूने में खाने योग्य बीजों की मात्रा 5 प्रतिशत से अधिक हो तो जीरे के नमूने को भी मिलावटी माना जाएगा। उक्त नियम के निर्माता अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक थे और उनका मानना था कि जीरे में खाने योग्य बीज और इसके साथ-साथ अन्य बाहरी पदार्थ भी हो सकते हैं। जीरा और अन्य बाहरी पदार्थ को मिलाकर 7 प्रतिशत से अधिक रखने का इरादा नहीं था और व्यक्तिगत रूप से खाने योग्य बीजों को 5 प्रतिशत से अधिक और खाने योग्य बीजों के अलावा अन्य बाहरी पदार्थ को 2 प्रतिशत से अधिक रखने का इरादा नहीं था। दूसरे शब्दों में, यदि बाहरी पदार्थ 2 प्रतिशत से अधिक है, तो नमूने को मिलावटी माना जाएगा, भले ही उसमें कोई खाद्य बीज न हो। यदि नमूने में 5 प्रतिशत से अधिक खाद्य बीज हैं, तो भी नमूने को फिर से मिलावटी माना जाएगा, भले ही वह किसी भी अन्य बाहरी पदार्थ से पूरी तरह मुक्त हो।

9. प्रश्नगत नियम पर आधारित उपरोक्त निर्माण को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि इस मामले में जीरा का नमूना घटिया था और इसे धारा के संदर्भ में मिलावटी माना जाना चाहिए। अधिनियम का 2(ia)(m), जो निम्नलिखित शर्तों में है:

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

* * * * * *

(ia) 'मिलावटी' -खाद्य पदार्थ को मिलावटी माना जाएगा-

* * * * * *

(एम) यदि वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से नीचे आती है या उसके घटक परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमा के भीतर नहीं मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बनाते हैं:

* * * * * * हालाँकि, श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि चूंकि सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था कि खाद्य बीजों का प्रतिशत वजन के आधार पर निकाला गया था और चूंकि संबंधित नियम के लिए जीरे के वजन के अनुसार दिए गए प्रतिशत की आवश्यकता थी, इसलिए यह अवश्य माना जाना चाहिए कि इस मामले में यह स्थापित नहीं हुआ कि जीरे में खाने योग्य बीज मौजूद थे; नमूना वजन के हिसाब से 5.2 प्रतिशत है।

10. मुझे इस विवाद में भी कोई दम नजर नहीं आता. विचाराधीन नियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रतिशत वजन के आधार पर निकाला जाना है। सार्वजनिक विश्लेषक को अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिशत वजन के आधार पर निकाला गया था। मंगलदास राघवजी रूपारेल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने स्पष्ट रूप से माना है कि सार्वजनिक विश्लेषक को विधि या विधि का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है रासायनिक परीक्षण जिसका उपयोग उन्होंने अपने निष्कर्ष या डेटा पर पहुंचने के लिए किया था।

11. श्री सिब्बल ने तब तर्क दिया कि जीरा एक प्राथमिक भोजन है जैसा कि अधिनियम की धारा 2(xii-a) में परिभाषित है और चूंकि यह स्थापित नहीं हुआ है कि इसमें मानव एजेंसी द्वारा मिलावट की गई थी, इसलिए अधिनियम की धारा 2(ia)(m) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया अपराध।

अधिनियम की धारा 2(ia)(m) का प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में है:

बशर्ते, जहां वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता, प्राथमिक भोजन होने के नाते, निर्धारित मानकों से नीचे गिर गई हो या उसके घटक परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमा के भीतर नहीं मात्रा में मौजूद हों, किसी भी मामले में, केवल प्राकृतिक कारणों से और नियंत्रण से परे मानव एजेंसी की, तो ऐसी वस्तु को इस उप-खंड के अर्थ के अंतर्गत मिलावटी नहीं माना जाएगा।

प्राथमिक भोजन को परिभाषित करने वाले अधिनियम की धारा 2(xii-a) इस प्रकार है:

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

* * * * * *

(xii-a) 'प्राथमिक भोजन' का अर्थ है भोजन की कोई भी वस्तु, जो अपने प्राकृतिक रूप में कृषि या बागवानी की उपज है।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जीरा, जो कि भूमि पर उगाया और उगाया जाता है, को प्राकृतिक रूप में कृषि उपज नहीं माना जा सकता है और इसलिए, यह प्राथमिक भोजन की श्रेणी में आएगा।

12. अब अगला प्रश्न जो विचाराधीन है वह यह है कि क्या अधिनियम की धारा 2(ia)(m) का उक्त परंतुक तथ्यों से आकर्षित है? वर्तमान मामले का. जो परिस्थितियाँ उक्त परंतुक के आवेदन को आकर्षित करेंगी, उन्हें अभियुक्त द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, न कि अभियोजन पक्ष द्वारा। जिस क्षण अभियोजन यह स्थापित कर देता है कि भोजन के नमूने में मिलावट थी, तब यह स्थापित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है कि ऐसी मिलावट मानव एजेंसी की करतूत नहीं थी। यदि वह ऐसा करता है, तो परंतुक लागू होगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो परंतुक लागू नहीं होगा और वह धारा 16< के तहत अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। /span> अधिनियम का। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई सबूत पेश नहीं किया कि नमूने में मौजूद खाद्य बीज एक पौधे के थे, जिसे जीरा के पौधों के साथ उगाया जा सकता था, जैसा कि मामले में था। a> (1982) 1 एफएसी 312 (पुंज एवं हर), जहां सार्वजनिक विश्लेषक को सबूत देने के लिए बुलाया गया था कि खरपतवार, जो खाद्य बीज उत्पाद थे, वे प्राकृतिक रूप से जीरे के पौधों के साथ उगते हैं और इसलिए, उस मामले में लिए गए नमूने में उक्त खाद्य बीजों की उपस्थिति में किसी मानव हाथ की आवश्यकता नहीं है। कश्मीरी लाल बनाम हरियाणा राज्य

13. जहां तक सज़ा का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कटौती की कोई गुंजाइश है, क्योंकि निचली अदालतें पहले ही इस संबंध में नरम रुख अपना चुकी हैं।

14. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी जाती है और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूह, हरियाणा